फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्रीमती कंवरी / हेमा जी निवासी गॉव अर्जुनगढ़, पो0 ताल ब्लॉक देवगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 107 / 2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.12.2025	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से जरिये अपीलार्थी को पृष्ठांकित पत्र क्रमांक :— सू.अ.05 / 2025 / 3328—3329 दिनांक 12.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 14 / 2004 अ.ना. में निर्णय दिनांक 19.04.2005 संबंधी सूचना चाही गई। प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया की अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुरानी होने से कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तलाश करवाई जा रही है। वांछित सूचना मिलने पर आवेदक का उपलब्ध करवा दी जायेगी।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुरानी होने से कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तलाश करवायी जा रही है एवं वांछित सूचना मिलने पर आवेदक को उपलब्ध करवा दी जायेगी। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली तलाश कर वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को इसी स्तर परनिर्णित किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)